

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

मे.ए.राम

बनाम

शिवराम

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 12/18 / सन् 2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा
.....~~88, 92A, 53A~~..... RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80
(2) सीपीसी का भी पेश किया। जो शामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र
प्रतिवादीगण संख्या 07..... के वि
रुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर
किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली
आयन्दा दिनांक 30/11/18..... को पेश हो।


14
12/11/18

~~500~~


500

25/11/18 वकील वादी द्वारा वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के वा.पत्र पेश
करके नि.पत्रावली का कार्य पेश कर दिया।

वकील वादी ने वा.पत्र पेश किया कि उक्त अहकाम
के अन्तर्गत नि.वादी उक्त अहकाम को करके नहीं चलाए
करके है। लोक अदालत की शर्तों के अन्तर्गत पक्षकारों
के अन्तर्गत नि.वादी राजीनाम कर लिया है। इसलिए
उक्त अहकाम के वा.पत्र को जरिये विरुद्ध रजिस्टर
किया जावे। वा.पत्र तलब किया।

अतः वकील वादी द्वारा वा.पत्र जरिये विरुद्ध रजिस्टर
करके कर पेश करके नि.वादी को वा.पत्र जरिये विरुद्ध रजिस्टर
किया जावे है। पत्रावली को तलब हुआ है। अतः
नि.वादी को वा.पत्र जरिये रजिस्टर दर्ज
करके। अहकाम तलब है। 
500